तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **केलीदेवी वगैरह बनाम किशनलाल वगैरह, मुकदमा संख्या – 26/2013**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
21.10.2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा जैसला के खसरा संख्या 104 रकबा 4.68 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थीया संख्या 1 का संपूर्ण रकबा 4.68 हैक्टेयर में से 1.06 हैक्टेयर व प्रार्थीया संख्या 2 कुल रकबा 4.68 हैक्टेयर में से 0.50 हैक्टेयर कुल 1.56 हैक्टेयर अर्थात् 1/3 हिस्सा की खातेदारी हकहकूक प्रार्थीयागण की विधमान है जिस पर प्रार्थीयागण निर्बाध रूप से सहज व शांतिपूर्ण काबिज काश्त है। ग्राम जैसला में नर्मदा नहर का मीठा पानी आ जाने से जमीनों की कीमतों में भारी वृद्वि हो जाने से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की नियत उक्त वादग्रस्त आराजी अकेले हड़पने की है इसलिए संयुक्त कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि में खेती करने से रोककर व्यवधान उत्पन्न किया। तब प्रार्थीयागण ने वादग्रस्त भूमि के कागजात लेकर सीमांकन के आधार पर अलग अलग करने का तकाजा किया। जिस पर अप्रार्थीगण सहमत नहीं हुए तथा प्रार्थीयागण को जबरन लाठी व डण्डे के बल पर बलपूर्वक बाहर खदेड़ कर इनके हिस्सा की भूमि हडपना चाहते है। प्रार्थीयागण के अलग हिस्सा की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को व्यवधान व बाधा उत्पन्न करने से रोकना भी आवश्यक है जो दावा बाबत् बंटवाड़ा, आज्ञात्मक व्यादेश व स्थाई निषेधाज्ञा का मजबूत आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है। प्रार्थीयागण के पक्ष में एक मजबूत प्रथम दृष्ट्या मामला है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयागण के पक्ष में है। प्रार्थीयागण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार एवं संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण लाठी व डण्डे के बल पर प्रार्थीयागण को बाहर खदेड़ कर पूरी रकबा की भूमि पर कब्जा कर अकेले हड़पना चाहते है यदि ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थीयागण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति दृव्य में कतई संभव नहीं है इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में स्थित अपने हिस्सा से अधिक भू–भाग पर खेती कर प्रार्थीयागण के हिस्सा की भूमि पर दखलंदाजी व व्यवधान करने से रोका जाना आवश्यक है अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान, बाधा या खेती कार्य में रूकावट नहीं करे, मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा जैसला के खसरा संख्या 104 प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी का आया हुआ है। मौजा जैसला में प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी आराजी खसरा संख्या 62, 65, 104, 79/187, 126, 127, 128, 129, 130/195,130 व 131 जुमले रकबा 23.56 हैक्टेयर में स्व. अमलखजी ने अपने जीवनकाल में ही आपसी सहमति से मौखिक बंटवाड़ा कर मौके पर अलग कर माठें कायम कर अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त अलग अलग प्रदान कर दिया था जो बदस्तुर है [illegible] खसरा संख्या 104 में प्रार्थीयागण का कोई हकहकूक शेष नहीं है। और न ही कोई कब्जा काश्त है बंटवाड़ा अनुसार खसरा संख्या 104 अप्रार्थीगण के बंट[illegible] में आया होने से कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का विगत 50 वर्षो से शांतिपूर्वक बेरोक–टोक चला आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में मेडआउट होता है तथा वर्षो से लगातार कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का शांतिपूर्वक चला आ रहा होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होने की संभावना है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Ku
Date: 2024.11.29 17:16:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible] न्यायिक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रैक) सांचोर

के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– **आदेश** :–

अतः प्रार्थीयागण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीयागण के भू–भाग में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे तथा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2024.11.29 17:16:01 IST
Reason: SelfAttested